न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या : 69 / 2019
तारीख दायर : 09.09.2019

अनवान

1. प्रेम देवी पत्नि रामसिंह जाति दरोगा निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीया....

बनाम

1. देवानन्द पिता हीरालाल जाति सुनार निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. शम्भु पिता हीरालाल जाति सुनार निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
3. लाड पुत्री हीरालाल जाति सुनार निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
4. हंसलेखा पुत्री हीरालाल जाति सुनार निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
5. अलोल पत्नि हीरालाल जाति सुनार निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजय चौहान (अधिवक्ता प्रार्थीया)
2. श्री संदीप शर्मा (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.11.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा तहसील माण्डलगढ की शरहद में स्थित आराजी संख्या 1213 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा व आराजी संख्या 1212 आहता चाह स्थित है। उक्त कृषि भूमि पर आने जाने एवं बैल, टेक्टर लाने ले जाने हेतु ग्राम मानपुरा की आराजी संख्या 835, 1204, 1206, 1209, 1210, 1211 कुल किता 6 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थीया की आराजीयात पर पंहुचने के लिये ग्राम मानपुरा से पिपल्दा लगती हुई गाडी गडार (कच्चा रास्ता) जो आराजी संख्या 1209 के पूर्वी मेड के सहारे सहारे आगे बढकर चलता हुआ आराजी संख्या 1211 आराजी संख्या 1210 के बीच मे होता हुआ व आराजी संख्या 1211 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे बढ़ता हुआ प्रार्थी की आराजी संख्या 1212 आहता चाह व आराजी संख्या 1213 में पंहुचता है। प्रार्थी को अपनी आसानी से गुजरने से रोक दिया। विपक्षी के उक्त कृत्य से प्रार्थीगण को अपनी जमीन पर पंहुचना असम्भव हो गया। इसलिये उपरोक्त प्रार्थी की आराजीयात मे पहुचने के करीब 20 फीट चौडा रास्ता घोषित किया जाना न्याय संगत है, उक्त रास्ते को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा ए से बी. सी. से डी स्थान पर लाल स्याही से दर्शाया गया है विपक्षी की रास्ते में जो भी भूमि कटेगी उसका न्यायालय आदेशानुसार डी.एल.सी. रेट प्रतिकर प्रार्थी अदा करने के लिए तैयार है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा मे स्थित आराजी संख्या 1213, 1212, आ0चा0 पर आने जाने सजबेल टेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु विपक्षी की ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा में आराजी संख्या 1209 के पूर्वी मेड के सहारे सहारे आगे बढकर चलता हुआ आराजी संख्या 1211, आराजी संख्या 1210, की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे बढता हुआ प्रार्थीया की आराजी संख्या 1213, 1212 आहता चाह पर 20 फीट चौडा रास्ता घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस सम्मन मय ल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। दिनांक 09.01.2020 को विपक्षी संख्या 1, 2, 5 की र से अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया या।

दिनांक 09.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2019/43 दिनांक 08.01.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवगत करवाया कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा की आराजी संख्या 1213 पर पहुंचने के लिए विपक्षीगण के आराजी संख्या 1210 व 1211 में 20 फीट रास्ते हेतु मांग करते हुए आवेदन किया है। प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 0.06 बिरवा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु प्रार्थीया की मांग के अनुसार रास्ते हेतु उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.06 भूमि का उपयोग होंगा जिसकी डी.एल.सी. दर 343728 प्रति बीघा से 103118 बनती है, दुगुनी दर 206237 है।

दिनांक 26.10.2020 को विपक्षीगण संख्या 1, 2, 5 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 1,2,3 मे विवरण अंकित है जिसमें प्रार्थीया के नाम पर ग्राम मानपुरा में कृषि भूमि आराजी संख्या 1213, 1212 स्थित होना स्वीकार है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 के अ–ब–स में विपक्षीगण का विवरण अंकित है जो स्वीकार है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 4 (द) गलत होकर अस्वीकार है आराजी संख्या 1213 व आराजी संख्या 1212 आहता चाह प्रार्थीया के नाम दर्ज होना स्वीकार है किन्तु प्रार्थीया की उपरोक्त आराजीयात पर आने जाने संजबेल, बैलगाडी ट्रैक्टर लाने ले जाने का रास्ता जो प्रार्थीया द्वारा चाहा गया है वह कभी भी विपक्षीगण की आराजीयात में विद्यमान नही रहा है और न ही प्रार्थीया विपक्षीगण की आराजीयात से होकर अपनी खातेदारी भूमि पर आती जाती है। विपक्षीगण की आराजीयात आराजी संख्या 1209 व 1211 की पूर्वी भूजा पर आराजी संख्या 1210 आहता चाह स्थित है और विपक्षीगण की आराजी संख्या 1210 आहता चाह की पश्चिमी दिशा पर कोई रास्ता नही होकर यह आराजी विपक्षीगण की आराजी संख्या 1209, 1211 से सटी हुई है ऐसी स्थिति मे विपक्षीगण की आराजी संख्या 1209, 1211 की पूर्वी भूजा व आहताचाह मे 1210 की पश्चिमी भूजा पर रास्ता कायम किया जाता है तो विपक्षीगण की आराजीयात दो भागों में विभाजीत हो जायेगी जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप न होकर प्रतिबंधित हैं। प्रार्थीया द्वारा बताया गया उपरोक्त रास्ता मौके पर कभी भी विद्यमान नहीं रहा हे जिसकी पुष्टि तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मौका पर्चा व नक्शे से होती है। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे बताये गये रास्ते का ही उपयोग प्रार्थीया सदैव अपनी आराजीयात पर आने जाने हेतु करती रही है व आज भी इसी रास्ते से अपनी आराजीयात पर आ जा रही है और मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा से भी इस रास्ते की पुष्टी होती है। तहसीलदार माण्डलगढ़ की रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकन किया गया है कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 1211 की पूर्वी मेर पर माताजी का मंदिर सराय बनी हुई हैं व विपक्षीगण को आहता चाह भी स्थित है जिसको छोड़कर रास्ता दिया जाना सम्भव नही है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 1209, 1211 की पूर्वी भूजा पर रास्ता दिया जाता है तो विपक्षी की आराजी संख्या 1209, 1211 व आहता चाह संख्या 1210 दो भागों में विभाजित हो जायेगी जो विधि सम्मत नही है। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार विपक्षीगण की आराजी संख्या 1204, 1206, 1209, 1211 व अन्य खातेदारी आराजी संख्या 1202, 1207, 1208 व 1216 में रास्ता दिया जाता है, तो विपक्षीगण को कोई आपत्ति नही है चूकि यही रास्ता मौके पर वर्षो से उपलबध होकर प्रार्थीया इसी रास्ते से अपनी आराजीयात पर आ जा रही हैं प्रार्थीया द्वारा कभी भी विपक्षीगण की आराजी संख्या 1209, 1211 मे रास्ते का उपयोग नही किया है एवं न ही विधि के प्रावधानों के अनुसार रास्ता दिया जाना संभव हैं प्रार्थीया

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

प्रार्थनापत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे। साथ ही तहसीलदार माण्डलगढ़ से पूनः रिपोर्ट तलब जावे।

दिनांक 13.08.2022 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक राजस्व/2022/67 दिनांक 12.08.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अवगत करवाया कि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा के आराजी नं. 1213 प्रार्थीया प्रेमदेवी पत्नि रामसिह रामसिह दरोगा निवासी माण्डलगढ के नाम खातेदारी हक में रिकॉर्ड दर्ज होकर उक्त भूमि पर पहुंचने हेतु राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज नही है। प्रार्थीया द्वारा ग्राम मानपुरा की आराजी नं. 1210 गै.मू. आचा के दक्षिणी दिशा में होकर आराजी नं. 1211 की पूर्वी मेड पर होते हुये रास्ता चाहा गया है आराजी नं. 1210 आचा तक सरकारी रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम है वादीया द्वारा आराजी नं. 1210 के आगे आराजी नं 1211 की पूर्वी मेड पर रास्ता चाहा गया है लेकिन आराजी नं. 1211 की पूर्वी मेड पर माताजी का मन्दिर व सराय निर्मित है एवं उक्त मन्दिर व सराय को छोड़कर रास्ता देने पर प्रतिवादी की खातेदारी भूमि दो भागो में विभाजित होती है। मौके पर एक अन्य वैकल्पिक रास्ता आराजी नं. 1172 बिलानाम रास्ते से होकर बिलानाम आराजी 1203 से होकर आराजी नं. 1204 की पश्चिमि मेड पर होकर 1202 के दक्षिणी भुजा के सहारे होते पूर्वी और घुमकर आराजी नं. 1206, 1209, 1211 व 1202, 1207 व 1208 में मध्य होते हुये आराजी नं. 1216 की दक्षिणि व पूर्वी मेड पर होते हुये आराजी नं. 1215 तक मौके पर रास्ता उपलब्ध है जो वादीया की खातेदारी भूमि के लगता हुआ है। उक्त वैकल्पिक रास्ते के उपयोग मे बिलानाम आराजी नं. 1203 में से 0.0192 है० व विपक्षी अन्य खातेदार की आराजी नं. 1204 में से 0.0312 है, आराजी नं. 1206 में से 0.0156 है0 1209 में से 0.0156 है0, 1211 में से 0.0156 है० आराजी नं. 1202 में से 0.0120 हे0 आराजी नं. 1207 में से 0.0138 है०, आ. नं. 1208 में से 0.0210 है० व आ. न. 1216 मे से 0.0144 हे0 भूमि उपयोग में आवेगी। इस प्रकार बिलानाम भूमि 0.0192 है० व विपक्षी व अन्य खातेदारान की भूमि 0.1392 है0 कुल भुमि 0.1584 है0 भूमि का रास्ते मे उपयोग होगा। ग्राम मानपुरा की (200 मीटर से अधिक) डी.एल.सी. दर 108244 रू0 प्रति बीघा है। खातेदारी भूमि 0.1392 है0 भूमि की मालियत की दुगुनी राशि 186528 रूपये एवं सरकारी बिलानाम भूमि 0.0192 है0 भूमि की मालियत की दुगुनी राशि 25728 रूपये अर्थात कुल प्रतिभुति राशि 212256 रूपये बनती है।

दिनांक 15.11.2022 को पत्रावली बहस हेतु पेश हुई। अधिवक्ता अभयपक्ष की बहस सूनी गई। हमने सर्वपक्षीय की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र, प्रार्थना पत्र द्वारा अप्रार्थीगण, जवाब प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–77, तहसीलदार माण्डलगढ से प्राप्त दोनो रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि वादीया द्वारा आराजी नं. 1210 के आगे आराजी नं 1211 की पूर्वी मेड पर रास्ता चाहा गया है लेकिन आराजी नं. 1211 की पूर्वी मेड पर माताजी का मन्दिर व सराय निर्मित है एवं उक्त मन्दिर व सराय को छोड़कर रास्ता देने पर प्रतिवादी की खातेदारी भूमि दो भागो में विभाजित होती है। मौके पर एक अन्य वैकल्पिक रास्ता आराजी नं. 1172 बिलानाम रास्ते से होकर बिलानाम आराजी 1203 से होकर आराजी नं. 1204 की पश्चिमि मेड पर होकर 1202 के दक्षिणी भुजा के सहारे होते पूर्वी और घुमकर आराजी नं. 1206, 1209, 1211 व 1202, 1207 व 1208 में मध्य होते हुये आराजी नं. 1216 की दक्षिणि व पूर्वी मेड पर होते हुये आराजी नं. 1215 तक मौके पर रास्ता उपलब्ध है जो वादीया की खातेदारी भूमि के लगता हुआ है। उक्त वैकल्पिक रास्ते के उपयोग मे बिलानाम आराजी नं. 1203 में से 0.0192 है० व विपक्षी अन्य खातेदार की आराजी नं. 1204 में से 0.0312 है, आराजी नं. 1206 में से 0.0156 है0 1209 में से 0.0156 है0, 1211 में से 0.0156 है० आराजी नं. 1202 में से 0.0120 हे0 आराजी नं. 1207 में से 0.0138 है०, आ. नं. 1208 में से 0.0210 है० व आ. न. 1216 मे से 0.0144 हे0 भूमि उपयोग में आवेगी। इस प्रकार बिलानाम भूमि 0.0192 है० व विपक्षी व अन्य खातेदारान की भूमि 0.1392 है0

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

ल भुमि 0.1584 है0 भूमि का रास्ते मे उपयोग होगा। ग्राम मानपुरा की (200 मीटर से अधिक) एल.सी. दर 108244 रू0 प्रति बीघा है। खातेदारी भूमि 0.1392 है0 भूमि की मालियत की दुगुनी राशि 186528 रूपये एवं सरकारी बिलानाम भूमि 0.0192 है0 भूमि की मालियत की दुगुनी राशि 25728 रूपये अर्थात कुल प्रतिभुति राशि 212256 रूपये बनती है। प्रार्थीया द्वारा जिस आराजी के लिये रास्ता चाहा गया है उसमें प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थीगण के अलावा अन्य सहखातेदार भी तहसीलदार माण्डलगढत्र की रिपोर्ट के अनुसार दर्ज है, जिनको अप्रार्थी नही बनाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 अस्वीकार किया जाता है। क्योंकि प्रार्थना पत्र में जिस आराजी के लिये रास्ता चाहा गया उसके लिये इसी ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा के आराजी संख्या 1172, 1203, 1204, 1202, 1206, 1209, 1211, 1207, 1208 से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। किन्तु उक्त आराजियात के समस्त खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है।

आदेश आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)